[प्राधिकृत अनुवाद]

हरियाणा विधान सभा

2023 का विधेयक संख्या–10 एच०एल०ए०

हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023
हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जा सकता है।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 6 का संशोधन।

2. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 6 में,–

(i) उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी तथा 16 मई, 2023 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :–

"(1) प्रत्येक निगम के लिए सीटों की कुल संख्या, ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की गई जनसंख्या के आधार पर सरकार द्वारा नियत की जाएगी :

परन्तु जहाँ परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की गई जनसंख्या, अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या के 140 प्रतिशत से कम है, तो क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या के 140 प्रतिशत के बराबर जनसंख्या पर विचार किया जाएगा।

उदाहरण.– (i) जहाँ परिवार सूचना डाटा कोष के अनुसार जनसंख्या 150 है और अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार किसी वार्ड में मतदाताओं की संख्या 100 है, तो 140 प्रतिशत के बाद की जनसंख्या 140 हो जाती है। इस मामले में, परिवार सूचना डाटा कोष के अनुसार जनसंख्या, अधिक होने के कारण विचार में ली जाएगी।

(ii) जहाँ परिवार सूचना डाटा कोष के अनुसार जनसंख्या 125 है और अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार किसी वार्ड

में मतदाताओं की संख्या 100 है, तो 140 प्रतिशत के बाद की जनसंख्या 140 हो जाती है। इस मामले में, अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार जनसंख्या, अधिक होने के कारण विचार में ली जाएगी।";

(ii) उप–धारा (4) में, "10" अंक के स्थान पर, "20" अंक प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा 16 मई, 2023 से प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा;

(iii) उप–धारा (5) में, "पिछड़ी जाति" शब्दों के स्थान पर, "पिछड़े वर्ग 'क' " शब्द, चिह्न तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 16 मई, 2023 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(iv) अन्त में विद्यमान व्याख्या का लोप कर दिया जाएगा तथा 16 मई, 2023 से लोप कर दिया गया समझा जाएगा।

1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 11 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 11 में,–

(i) उप–धारा (3) में, "(1), (2) तथा (4)" कोष्ठकों, अंकों, चिह्न तथा शब्द के स्थान पर, "(1) तथा (2)" कोष्ठक, अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 16 मई, 2023 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(ii) उप–धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाएगी तथा 16 मई, 2023 से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:–

"(4) (क) प्रत्येक निगम में पिछड़े वर्ग 'क' के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी तथा इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, उस निगम में सीटों की कुल संख्या के समरूप अनुपात में, यथाशक्य, निकटतम होंगी, जो उस निगम की कुल जनसंख्या के अनुसार पिछड़े वर्ग 'क' की जनसंख्या के अनुपात का आधी होंगी तथा यदि दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो निकटतम उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित की जाएगी; तथा अनुसूचित जातियों के लिए पहले से ही आरक्षित सीटों को निकालने के बाद, ऐसी सीटें, उन सीटों, जिनमें पिछड़े वर्ग 'क' की जनसंख्या की अधिकतम प्रतिशतता है, से प्राप्त की गई पिछड़े वर्ग 'क' के आरक्षण हेतु प्रस्तावित सीटों की संख्या की तीन गुणा में से ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा आबंटित की जाएंगी तथा उत्तरवर्ती चुनावों में भी चक्रानुक्रम द्वारा आबंटित की जाएंगी :

परन्तु निगम में कम से कम एक सदस्य पिछड़े वर्ग 'क' से सम्बन्धित होगा यदि उनकी जनसंख्या, निगम की कुल जनसंख्या का दो प्रतिशत या उससे अधिक है:

परन्तु यह और कि जहाँ इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्ग 'क' के लिए इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, अनुसूचित

जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या में जोड़े जाने पर, उस निगम में सीटों की कुल संख्या का पचास प्रतिशत से अधिक है, तब पिछड़े वर्ग 'क' के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो पिछड़े वर्ग 'क' तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या, उस निगम में कुल सीटों के पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

व्याख्या.– (1) इस उपधारा के अधीन पिछड़े वर्ग 'क' के आरक्षण के प्रयोजन हेतु, नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या तथा उस नगर निगम में पिछड़े वर्ग 'क' की जनसंख्या ऐसी होगी, जो ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के उपबन्धों के अधीन स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की जाए।

व्याख्या.– (2) द्वितीय परन्तुक के प्रयोजन हेतु, निगम में कुल सीटों का पचास प्रतिशत, जहाँ दशमलव मान 0.5 या उससे अधिक है, तो निकटतम उच्च पूर्णांक तक पूर्णांकित करते हुए अथवा जहाँ दशमलव मान 0.5 से कम है, तो निकटतम निम्न पूर्णांक तक पूर्णांकित करते हुए निगम की कुल सीटों के आधे के रूप में लिया जाएगा।

(ख) इस उप–धारा के अधीन आरक्षित सीटों की कुल संख्या की कम से कम एक तिहाई सीटें, पिछड़े वर्ग 'क' से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और ऐसी सीटों को इस उप–धारा के अधीन आरक्षित वार्डों में से चक्रानुक्रम द्वारा और लॉटस द्वारा आबंटित किया जा सकता है।";

(iii) उप–धारा (5) में, " पिछड़े वर्गों" शब्दों के स्थान पर, "पिछड़े वर्ग 'क' " शब्द, चिह्न तथा अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा 16 मई, 2023 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(iv) उप–धारा (7) में, ",(4)" चिह्न, कोष्ठकों तथा अंक का लोप कर दिया जाएगा तथा 16 मई, 2023 से लोप कर दिया गया समझा जाएगा।

4. मूल अधिनियम की धारा 267 में,– 1994 के हरियाणा अधिनियम 16 की धारा 267 का संशोधन।

(i) उप–धारा (1) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु जहाँ कोई व्यक्तिक या कम्पनी अपनी भूमि के ऊपर नगर योजना स्कीम तैयार करने या के अनुमोदन के लिए आवेदन करता/करती है, तब अनिर्मित क्षेत्र घोषित नहीं किया जाएगा तथा निगम से कोई भी संकल्प अपेक्षित नहीं होगा। यदि किसी व्यक्तिक या कम्पनी से नगर योजना स्कीम के लिए कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो आयुक्त आवेदन की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर सभी सम्बन्धित दस्तावेजों सहित उसे सरकार को भेजेगा। तथापि, निगम से संकल्प अपेक्षित होगा, यदि निगम अपनी भूमि पर या किसी व्यक्तिक या कम्पनी के साथ संयुक्त रूप से अनिर्मित क्षेत्र के लिए नगर योजना स्कीम और निर्मित क्षेत्र के लिए भवन योजना बनाता है।" ;

(ii) उप–धारा 2 में,–

(क) अंत में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ";" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) निम्नलिखत परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु यदि किसी व्यक्तिक या कम्पनी द्वारा अपनी भूमि पर नगर योजना स्कीम लागू की जाती है तो सार्वजनिक नोटिस अपेक्षित नहीं होगा।"।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

5. (1) हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2), इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 243न में वर्णित आरक्षण नीति द्वारा पालिकाओं की संरचना निर्देशित होती है। इसके खंड (6) में प्रावधान है कि "इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधान–मंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी पालिका में स्थानों के या पालिकाओं में अध्यक्षों के पद के आरक्षण के लिए कोई उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।" भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***डॉ0 के0 कृष्ण मूर्ति व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य (2010) 7 एस.सी.सी. 202*** के मामले में दिनांक 11.05.2010 के अपने निर्णय में अनुच्छेद 243न (6) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि यह प्रावधान राज्य विधानमंडलों को पिछड़े वर्गों के पक्ष में सीटें और अध्यक्ष के पद आरक्षित करने में सक्षम बनाता है।

2. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2019 की याचिका (सिविल) संख्या 980 शीर्षक विकास किशनराव गवाली बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य में दिनांक 04.03.2021 को पारित अपने फैसले के माध्यम से आगे कहा कि राज्य विधान, राज्य भर में, एक स्वतंत्र आयोग द्वारा पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की उचित जांच के बिना स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण की एक समान और कठोर मात्रा प्रदान नहीं कर सकता है। पिछड़े वर्गों के लिए स्थानीय निकायों में सीटें आरक्षित करने से पहले राज्य द्वारा अनुपालन की जाने वाली तीन परीक्षण शर्तों का निम्नानुसार पालन किया जाना अपेक्षित है–

(1) राज्य के भीतर स्थानीय निकायों के पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की समकालीन कठोर अनुभवजन्य जांच करने के लिए एक समर्पित आयोग की स्थापना करना;

(2) आयोग की सिफारिशों के दृष्टिगत, स्थानीय निकाय–वार प्रावधान किए जाने के लिए अपेक्षित आरक्षण के अनुपात को विनिर्दिष्ट करना, ताकि अत्याधिकता न हो; और

(3) किसी भी मामले में ऐसा आरक्षण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के पक्ष में 50 प्रतिशत ऊध्वार्धर आरक्षण की ऊपरी सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा।

एक अन्य याचिका (सिविल) संख्या 278 का 2022 शीर्षक सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य तथा अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेष दिनांक 10.05.2022 आदेश में कहा गया है कि जब तक राज्य सरकारों द्वारा 'सभी तरह से' ट्रिपल टैस्ट की औपचारिकता पूरी नहीं की जाती है, तब तक राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछडा वर्ग के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं किया जा सकता है और सभी राज्य सरकारों व सम्बन्धित राज्य चुनाव अयोगों को संवैधानिक जनादेश को बनाए रखने के लिए इसका पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।

आगे, माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल याचिका संख्या 18977–2021 में सी.एम.–3239–सी.डब्लयू.पी.–2022 के साथ सिविल याचिका संख्या

21883–2021 में सी.एम.–3200–सी.डब्लयू.पी.–2022 में दिनांक 17.05.2022 को पारित अंतरिम आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 10.05.2022 को पारित किए आदेशों की पालना करने के निर्देश दिए गये हैं।

3. सरकार, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.07.2022 द्वारा, अन्य कार्यों के साथ–साथ, राज्य में, पंचायती राज संस्थाओं और पालिकाओं में पिछड़े वर्गों के लिए किए जाने वाले प्रावधान में आरक्षण के अनुपात का अध्ययन और सिफारिश करने के लिए हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने नगर निगमों के चुनावों में पिछड़े वर्गों 'क' के लिए आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की है जिसके लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 11 में संशोधन आवश्यक है। प्रत्येक निगम में पिछड़ा वर्ग 'क' के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी और इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या, उस निगम में कुल संख्या के समरूप अनुपात में, यथाशक्य, निकटतम होंगी, जो उस निगम की कुल जनसंख्या के अनुसार पिछड़ा वर्ग 'क' की जनसंख्या के अनुपात की आधी होंगी।

4. भारत में अंतिम जनगणना जिसमें जाति आधारित आंकड़ें शामिल किये गये थे, 1931 में की गई थी। 1951 के बाद से प्रत्येक जनगणना में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रकाशित की गई है। इस प्रकार जनगणना में पिछड़ा वर्ग 'क' की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। सरकार ने हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के तहत परिवार सूचना डाटा कोष (एफ.आई.डी.आर.) की स्थापना की है, जिसमें परिवारों में गठित हरियाणा के निवासियों के बारे में जानकारी उपलब्ध है जिसे गतिशील रूप से अद्यतन और समय–समय पर सत्यापित किया जाता है। 18 अगस्त, 2023 तक एफ.आई.डी.आर. में 2,76,72,355 व्यक्तियों के साथ कुल 69,00,836 परिवारों को पंजीकृत किया गया है।

5. इसलिए, नगर निगमों के चुनावों में पिछड़ा वर्ग 'क' के लिए आरक्षण के प्रयोजनार्थ एफ.आई.डी.आर. में उपलब्ध आंकड़ों पर विचार किया गया है। पिछड़ा वर्ग 'क' के लिए सीटों का आरक्षण और प्रत्येक निगम के लिए पिछड़े वर्ग 'क' सहित सीटों की कुल संख्या, ऐसी तिथि, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के तहत स्थापित परिवार सूचना डाटा कोष से प्राप्त की गई जनसंख्या के आधार पर नियत की जाएगी।

6. मतदाता–जनसंख्या (ईपी) अनुपात के अनुसार, राज्य में, प्रत्येक 1000 व्यक्तियों पर योग्य मतदाताओं की संख्या लगभग 700 है। चूंकि, परिवार पहचान पत्र के लिए नामांकन एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है और इस बात की संभावना है कि कुछ क्षेत्रों में अधिकांश निवासियों ने एफ.आई.डी.आर में पंजीकरण नहीं कराया हो, इस प्रकार यह भी विचार किया गया है कि जहां परिवार सूचना डाटा कोष से ली गई जनसंख्या, अन्तिम प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार ऐसे क्षेत्रों में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या के 140 प्रतिशत से कम है, तो क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या के 140 प्रतिशत के बराबर जनसंख्या पर विचार किया जाएगा। आगे, निगम के वार्डों में जनसंख्या भिन्नता की सीमा को प्रति वार्ड औसत जनसंख्या से ऊपर या नीचे 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ट्रिपल टैस्ट की तीसरी शर्त के अनुपालन में, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग 'क' के लिए आरक्षित कुल सीटों की संख्या निगम की कुल सीटों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। यदि ऐसा होता है तो पिछड़ा वर्ग 'क' के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, ऐसी अधिकतम संख्या तक निर्बन्धित की जाएगी, जो अनुसूचित जातियों और पिछड़ा वर्ग 'क' के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या, उस निगम में सीटों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

8. हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश के अनुरूप हरियाणा राज्य में महापौर के पदों में पिछड़े वर्गों 'क' के लिए आठ प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा के परामर्श से हरियाणा नगर निगम निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 71(7) के तहत प्रावधान किया गया है।

9. इसलिए, प्रत्येक नगर निगम में सीटों की संख्या का निर्धारण करने के लिए तथा प्रत्येक निगम की सीटों में पिछड़े वर्गों 'क' के लिए आरक्षण का प्रावधान करने के लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 6 तथा 11 में संशोधन किया जाना आवश्यक है।

10. शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 267 के प्रावधान के तहत राज्य में नगर निगमों के क्षेत्र के भीतर नगर नियोजन योजना की मंजूरी देता है।

11. हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की उपधारा (1) के तहत प्रावधान यह प्रदान करता है कि जब कोई व्यक्ति या कंपनी अपनी भूमि पर नगर नियोजन योजना की तैयारी अनुमोदन के लिए आवेदन करता है, तो गैर निर्मित क्षेत्र घोषित नहीं किया जाऐगा। निगम इस तरह के प्रस्ताव को पहली बार विचार के लिए रखे जाने की तारीख से साठ दिनों के भीतर नगर नियोजन योजना के अनुमोदन के लिए एक प्रस्ताव पारित करेगी, अन्यथा आयुक्त नगर नियोजन योजना के प्रस्ताव को सीधे राज्य सरकार को भेज देगा।

12. आगे, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 267 की उपधारा (2) के तहत प्रावधान के अधीन अगर कोई योजना तैयार की जाती है तो निगम ऐसी योजना के संबंध में सर्व साधारण से सार्वजनिक सूचना के माध्यम से कोई भी आपत्ति या सुझाव लिखित रूप में जिसे वह करना चाहता है 30 दिनों के भीतर समिति को प्रस्तुत कर सकता है।

13. उपरोक्त वर्णित, निगम द्वारा प्रस्ताव को पारित करना एवं सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता से संबंधित प्रावधान नगर आयोजना योजना के अनुदान की प्रक्रिया को हतोत्साहित और विलंबित करता है। आगे, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास और विनियमन अधिनियम, 1975, (हरियाणा अधिनियम संख्या 8 का 1975) प्रावधान के तहत नगरपालिका क्षेत्र के भीतर और नगरपालिका क्षेत्र के बाहर लाइसैंस प्रदान करता है, लेकिन उक्त अधिनियम या नितियों में निगम से प्रस्ताव पारित करने तथा सार्वजनिक सूचना की आवश्यकता जैसी कोई शर्त नहीं है।

14. इसलिए किफायती आवास की गुणवत्ता की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में निगम से प्रस्ताव पारित करने तथा सार्वजनिक

सूचना की आवश्यकता से संबंधित प्रावधान में संशोधन करने की आवश्यकता है। यह परेशानी मुक्त तरीके से विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने में भी सहायक होगा।

15. इसलिए, यह प्रस्तावित किया गया है कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 267 की उपधारा (1) में मौजूदा प्रावधान को प्रस्तावित से प्रतिस्थापित किया जाये कि यदि नगर नियोजन योजना किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा अपनी भूमि पर लगाई जाती है तो निगम द्वारा प्रस्ताव को पारित करने की आवश्यता नहीं होगी और निगम द्वारा प्रस्ताव पारित की आवश्यता केवल तभी होगी जब निगम अपनी भूमि पर गैर–निर्मित क्षेत्र में नगर नियोजन योजना और निर्मित क्षेत्र में निर्मित योजना या निगम द्वारा इकट्ठे किसी व्यक्ति या कंपनी की भूमि पर नगर नियोजन योजना बनाती है। तदानुसार, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 267 की उपधारा (2) के बाद यह प्रावधान जोड़ा जाना प्रस्तावित है कि यदि किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपनी भूमि पर नगर नियोजन योजना लागू की जाती है तो सार्वजनिक सूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं होगीं।

डॉ0 कमल गुप्ता,
शहरी स्थानीय निकाय मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक : 23 अगस्त, 2023

आर० के० नांदल,
सचिव।

अवधेय: उपर्युक्त विधेयक हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 128 के परन्तुक के अधीन दिनांक 23 अगस्त, 2023 के हरियाणा गवर्नमैंट गजट (असाधारण) में प्रकाशित किया था।

अनुबन्ध

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 से उद्धरण

6. **निगम के स्थानों का नियतन.–** (1) प्रत्येक शासकीय जनगणना के बाद, स्थानों की कुल संख्या, अंततम जनगणना आंकड़ों के आधार पर सरकार द्वारा नियत की जाएगी। यदि निगम की सीमाओं में कोई क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है या से बाहर निकाला जाता है, तो जनसंख्या ऐसे क्षेत्र के संबंध में तत्काल अभिनिश्चित की जाएगी तथा स्थानों के पुनः नियतन के प्रयोजन के लिए उस निगम के अंततम जनगणना आंकड़ों में जोड़ दी जाएगी अथवा से निकाल दी जाएगी।

(2) XXX XXX XXX XXX XXX

(3) XXX XXX XXX XXX XXX

(4) प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या, यथासाध्य, प्रति वार्ड, औसतन जनसख्या के 10 प्रतिशत तक ऊपर या नीचे के परिवर्तन सहित सम्पूर्ण निगम में एक समान होनी चाहिए।

(5) अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित वार्ड, यथासाध्य, उन क्षेत्रों में अवस्थित होंगे जहां निगम की कुल जनसंख्या में उनकी जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है।

व्याख्या.– यहां "जनसंख्या" से अभिप्राय है, आयुक्त द्वारा प्रतिनियुक्त अमले द्वारा, निगम में द्वार–द्वार जाने के बाद, स्थानीय रूप से यथा अभिनिश्चित जनसंख्या।

11. **स्थानों का आरक्षण.–**

(1) XXX XXX XXX XXX XXX

(2) XXX XXX XXX XXX XXX

(3) निगम में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई (अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल संख्या को मिलाकर) महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा और ऐसे स्थान उपधारा (1), (2) तथा (4) के अन्तर्गत आने वालों के सिवाय निगम में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के चक्रानुक्रम द्वारा तथा लाट द्वारा आवंटित किए जा सकते हैं।

(4) निगम में से दो स्थान पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लिए आरक्षित किए जाएंगे जो ऐसे वार्डों में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों की अधिकतम जनसंख्या के अनुसार आवंटित किए जाएंगे।

(5) महापौर का पद सामान्य प्रवर्ग, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित सदस्यों तथा महिलाओं में से यथा विहित रीति में चक्रानुक्रम तथा लाट द्वारा भरा जायेगा।

(6) XXX XXX XXX XXX XXX

(7) उपधारा (1), (2), (4) तथा (5) के अधीन स्थानों के अधीन स्थानों के आरक्षण की प्रत्येक दस वार्षिक जनगणना के बाद समीक्षा की जाएगी।

(8) XXX XXX XXX XXX XXX

267. निर्माण स्कीम.–

(1) XXX XXX XXX XXX XXX

परन्तु जहां कोई व्यक्ति या कम्पनी अपनी भूमि के ऊपर नगर योजना स्कीम तैयार करने/अनुमोदन के लिए आवेदन करता है, तब अनिर्मित क्षेत्र घोषित नहीं किया जाएगा। निगम प्रथम बार के लिए इसके विचारण हेतु तिथि जिसको ऐसा प्रस्ताव पेश करता है से साठ दिन के भीतर नगर योजना स्कीम के अनुमोदन के लिए संकल्प पारित करेगा, अन्यथा आयुक्त सरकार को सीधे तौर पर नगर योजना स्कीम का प्रस्ताव भेजेगा।

(2) जब उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन कोई स्कीम तैयार की गई है, तो निगम ऐसी स्कीम का सार्वजनिक नोटिस देगी और उसी समय ऐसे नोटिस की तिथि से कम से कम तीस दिन बाद की ऐसी तिथि भी सूचित करेगी, जिस तक कोई व्यक्ति ऐसी स्कीम के संबंध में कोई ऐसा आक्षेप या सुझाव, जिसे वह देना चाहें, निगम की लिखित रूप में प्रस्तुत कर सकता है।

माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित हरियाणा नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2) के अलावा अन्य विधेयक में संशोधन।

मूल अधिनियम की धारा 267 में,–

(i) उप–धारा (1) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु जहाँ कोई व्यक्तिक या कम्पनी अपनी भूमि के ऊपर नगर योजना स्कीम तैयार करने या के अनुमोदन के लिए आवेदन करता/करती है, तब अनिर्मित क्षेत्र घोषित नहीं किया जाएगा तथा निगम से कोई भी संकल्प अपेक्षित नहीं होगा। यदि किसी व्यक्तिक या कम्पनी से नगर योजना स्कीम के लिए कोई आवेदन प्राप्त होता है, तो आयुक्त आवेदन की प्राप्ति की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर सभी सम्बन्धित दस्तावेजों सहित उसे सरकार को भेजेगा। तथापि, निगम से संकल्प अपेक्षित होगा, यदि निगम अपनी भूमि पर या किसी व्यक्तिक या कम्पनी के साथ संयुक्त रूप से अनिर्मित क्षेत्र के लिए नगर योजना स्कीम और निर्मित क्षेत्र के लिए भवन योजना बनाता है।" ;

(ii) उप–धारा 2 में,–

(क) अंत में विद्यमान "।" चिह्न के स्थान पर, ";" चिह्न प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) निम्नलिखत परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु यदि किसी व्यक्तिक या कम्पनी द्वारा अपनी भूमि पर नगर योजना स्कीम लागू की जाती है तो सार्वजनिक नोटिस अपेक्षित नहीं होगा।"

10549—H.V.S.—H.G.P., Pkl.